निर्णय पदनाम श्री हिमांशु शर्मा आर. ए. एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अभ्यापित

प्रकरण सं. 95/04 दावा
दायरा दिनांक :- 27.8.04
निर्णय दिनांक :- 15.2.22

उनवान

अर्जुनलाल वल्द चन्दालाल जाति मेहर साकिन पुरानी कलमण्डा तह. किशनगंज - बारां

बनाम

1. जोधराज पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी कलमण्डा तह. बारां
2. रामस्वरूप पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी कलमण्डा तह. बारां
3. चमेलीबाई पत्नी रामकरण जाति मीना निवासी कलमण्डा तह. बारां
4. रामकरण पुत्र रतनलाल जाति मीना नि. कलमण्डा तह. बारां
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वादपत्र धारा - 88, 188 RTA
निर्णय दिनांक :- 15.2.22

उपस्थित अभिभाषक :- 1. श्री ओमप्रकाश भारद्वाज - वादी
2. श्री ओम प्रकाश मेहता II - प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कलमण्डा तहसील बारां के माल में आराजी ख. नं. 319 रकबा 1.70 हे. व माल हितीय ख. नं. 320 रकबा 0.01 हे. कुल दो किता रकबा 1.71 हे. स्थित है। उक्त आराजी ख. नं. 319 रकबा 1.70 हे. वाके माल कलमण्डा श्री बाबूलाल पुत्र नाथूलाल मेहर / भील निवासी बारां की खातेदारी की है। बाबूलाल ने जरिये डी. डी. तहरीर दिनांक 24.4.2002 रजि. दिनांक 27.4.2002 बहक वादी बेचान कर दी व बेचान शुदा रकबे पर वक्त बेचान कब्जा संभला दिया बाद खरीद वादी इस आराजी ख. नं. 319 रकबा 1.70 हे. पर काबिज हो गया व शांति पूर्वक उक्त तमाम रकबे पर काश्त प्रारम्भ कर दी जो निरंतर जारी है। उक्त खरीदशुदा आराजी का नामा. सं. 767 दिनांक 5.3.2003 बाबत ख. नं. 319 रकबा 1.70 हे. जुज वादी के नाम दर्ज होकर उक्त आराजी ख. नं. 319 रकबा 1.70 हे. वादी के नाम दर्ज करने का आदेश हो गया व जमाबंदी में वादी के नाम का इन्द्राज हो गया। वादी उक्त आराजी ख. नं. 319 रकबा 1.70 हे. वाके माल [illegible] का जुज के आधार पर खातेदार काश्तकार है व यह [illegible] बाबूलाल ने भी उक्त आराजी ख. नं. 319 रकबा 1.70 [illegible] हे. प्रतिवादी जोधराज के पिता व रामस्वरूप के पिता कल्याण के [illegible] डी. डी. दिनांक [illegible] 96 खरीद की व उक्त तमाम रकबे पर कब्जा प्रतिवादी गण ने प्राप्त [illegible] था। प्रतिवादी [illegible]

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1 व 2 ने उप जिला कलक्टर बारां को एक प्रार्थना पत्र धारा 136 LR act का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी वादी गण के खातेदारी में ख.नं. सेटल्ड 271 का 13.12 बीघा रकबा अंकित था जिसका वर्तमान ख.नं. 319 कायम कर रकबा 1.70 हे. व ख.नं. 320 रकबा 0.01 हे. कायम किया गया। प्रार्थी वादी के खातेदारी से 0.45 हे. रकबा गलत बन्दोबस्त से कम हो गया है उसकी जांच कर उक्त कमी रकबा प्रार्थी० के खातेदारी में दर्ज किया जावे। यह प्रकरण नं. 143/03 है व भू-प्रबन्ध परगना अधिकारी ने जांच व तहकीकात कर दिनांक 21.7.2003 को आदेश दिया कि प्रार्थी वादी का कमी रकबा 0.45 हे. की पूर्ति ख.नं. 275 में से 0.07 हे. ख.नं. 324 में से 0.09 हे. ख.नं. 337 में से 0.10 हे. व ख.नं. 341 में से 0.19 हे. कि. रकबा नाप कर पूर्ति की जावे व प्रार्थी वादी की आराजी ख.नं. 319 में बेसी ली जावे व उक्त आदेश की पालना कर नामा. नं. 838 से कि ख.नं. 319 का रकबा 0.45 हे. वाके कलमण्डा प्रार्थी वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिनांक 13.2.2004 को हुआ है उक्त नामा. भी अवैध है ख.नं. 235 के स्थान पर ख.नं. 234 अंकित कर दिया है। बाद पत्र की मद नं. 4 में वर्णित प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रार्थी वादी गण ने आराजी ख.नं. 319 रकबा 0.45 हे. रकबा वाके कलमण्डा का बेचान कर रजि. प्रार्थी वादी क्र 3 को कर दिया उसका नामा. नं. 841 दिनांक 5.4.2004 को प्रार्थी वादी क्र 3 के नाम दर्ज होकर उक्त कि. 319 रकबा 0.45 हे. वाके मौजा कलमण्डा प्रार्थी वादी क्र 3 के नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश हो गया।

वादी नम्बर खातेदारी की आराजी ख.नं. 319 रकबा 0.70 हे. वाके कलमण्डा पर बाद खरीद रजि. दिनांक 24.7.2002 से शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है इसके पूर्व इस रकबे पर बाबूलाल (बैकर्ता) काबिज रहा है। प्रार्थी वादी क्र 3 ने पटवारी हल्का को दरख्वास्त दी की उसका ख.नं. कि 319 रकबा 0.45 हे. का सीमाज्ञान कराया जावे। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 10.7.2004 को पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान कराया व इस सीमाज्ञान में पटवारी हल्का ने 0.45 हे. रकबा जो चिन्हित किया है व वादी के खातेदारी की आराजी ख.नं. 319 रकबा 1.70 हे. की दक्षिणी भूमि दर्शाई है जबकि उक्त भूमि वादी के खातेदारी की भूमि का अंश है व वादी उसको निरन्तर सन् 2002 से शान्ति पूर्वक काश्त कर रहा है व काबिज है व इसके पहले बाबूलाल काबिज था यह रिपोर्ट भी एक तरफा है वादी के सामने न तो पैमाइश की गई और न ही पैमाइश हेतु वादी को कोई सूचना दी गई व मनमाने तरीके से प्रार्थी वादी गण के गांव से आकर पटवारी हल्का ने अपनी सीमाज्ञान [illegible] है जो वादी के हक के खिलाफ प्रभावहीन है व वादी उसके [illegible] ने भी पटवारी हल्का को कहा की यह आराजी [illegible] का कब्जा है उससे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है व आप गलत [illegible] कार्यवाही कर रहे हो लेकिन पटवारी ने अनसुनी कर दी प्रार्थी वादी क्र 3 व उसके परिवार के व्यक्ति ताकतवर है

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कारण यह है कि लेकर जबरन से वादी के खातेदारी व कब्जे की 0.45 हे. रकबा की ख.नं. 319 का दाखिली भाग है व वादी के खातेदारी व कब्जे की कुल 1.70 हे. का अंश पर कब्जा करने व वादी के कब्जे व काश्त व्यवस्था में व्यवधान डालने की आशंका है व वादी से झगड़ा करने को तत्पर है वादी गरीब काश्तकार है। प्रतिवादी क्र. 3 व उसका पति दिनांक 14.7.2004 को खेत पर पहुंचा व वादी के खातेदारी की आराजी में जबरन प्रवेश कर आराजी 0.45 हे. को काश्त का प्रयास किया तो वादी को उनको समझाया व अपने दस्तावेज भी दिखलाये लेकिन प्रतिवादी नं. 3 का उसका पति नहीं माने व लड़ाई झगड़ा करने लगे।

दिनांक 15 को वादी ने अपने सहयोगी के द्वारा उक्त आराजी को हांक जोत कर रबी की फसल बोने योग्य बनाया है गत साल भी इस आराजी में सरसों की फसल वादी की थी लेकिन अब पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी गण मुझ वादी की काश्त व्यवस्था में बाधा डालने व वादी की आराजी के उपयोग उपभोग करने में व्यवधान डाल रहे है। प्रतिवादी गण क्र. 3 व 4 ने धमकी दी कि वादी इस रकबे को अब काश्त नहीं करेगा और न फसल बोयेगा व झगड़ा करने की धमकी भी दी यह वाका दिनांक 17.7.04 का है प्रतिवादी गण के इस कृत्य से वादी के हक हितैषी व कब्जे को खतरा पैदा हो गया है प्रतिवादी क्र. 3 व 4 ने बदनियती से चुपचाप दिनांक 6.8.04 को तिल्ली की फसल बो दी जब वादी को मालूम हुआ कि प्रतिवादी गण ने अनाधिकार वादी की कब्जे व खातेदारी की आराजी में तिल्ली डाल दी है तब वादी ने प्रतिवादी गण से बुरा भला कहा तो प्रतिवादी गण ने लड़ाई झगड़ा करने व खेत पर नहीं आने की धमकी दी इस तरह प्रतिवादी क्र. 3 व 4 ने प्रतिवादी क्र. 1 व 2 से षडयंत्र करके वादी की खातेदारी व कब्जे की आराजी ख.नं. 319 ~~रकबा~~ के 0.45 हे रकबा दाखिली भाग पर अनाधिकार गैरकानूनी करके अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है प्रतिवादी गण का कब्जा अनाधिकार-अवैध है व बिना सहमति वादी है अतः वादी अब उक्त प्रतिवादी गण को आराजी ख.नं. 319 के रकबा 0.45 हे. वादी जरिये [illegible] से बेदखल कर कब्जा पाने का हकदार है। दावा करने का कारण दिनांक 10.7.2004 को पटवारी द्वारा गलत सीमाज्ञान कराने पर व दिनांक 17.7.2004 को प्रतिवादी क्र. 2 व 3 द्वारा वादी के हक में हस्तक्षेप करने की धमकी देने के कारण तथा दिनांक 6.8.04 को आराजी के 0.45 हे. रकबे पर जबरन तिल्ली की फसल बोने पर पैदा हुआ। वादी द्वारा [illegible] पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का [illegible] प्रतिवादी गण को नोटिस तामील किया गया प्रतिवादी क्र. [illegible] ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ जिसका जवाबुल जवाब वादी द्वारा पेश किया गया।

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2031-34, नकल जमाबंदी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2059-62 खाता नं. 295, नकल जमाबंदी सम्वत 2051-54 खाता नं. 29, नकल प्रार्थना पत्र तहसीलदार बारां दिनांक 6.3.2002, नकल पटवारी द्वारा तहसीलदार बारां को भेजा गया पत्र, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कलमण्डा, नकल नामा. नं. 858 ग्राम कलमण्डा, नकल निर्णय दिनांक 21.7.2003 प्रकरण नं. 143/03 धारा 136 LR act उनवान जगन्नाथ बनाम सरकार, नकल नामा. सं. 838 ग्राम कलमण्डा, नकल विक्रय पत्र दिनांक 9.3.2004, नकल बैनामा दिनांक 27.4.2002, नकल निर्णय दि. 27.4.2004 प्रकरण नं. 143/02 उनवान बाबूलाल बनाम सरकार पेश की गयी। नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2008, नकल तीनाजात दिनांक 22.10.2008 पेश की गयी। नकल जमाबंदी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2063-65 पेश की गयी। साक्ष्य वादी में अर्जुनलाल का शपथ पत्र पेश किया, साक्ष्य प्रति वादी में कन्हैया लाल, रामकरण का शपथ पत्र पेश हुआ।

वादी के वाद पत्र एवं प्रति वादी गण के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

तनकी नं. 1 आया कि विवादित आराजी ग्राम कलमण्डा के ख. नं. 319 रकबा 1.70 है वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है उक्त आराजी वादी ने बाबूलाल पटेडिया से रजि. विक्रय पत्र खरीद की व कब्जा प्राप्त किया तथा नामा. 767 दिनांक 5-3-03 से वादी के खाते दर्ज की गई। — वादी

तनकी नं. 2 आया कि प्रति वादी क्र. 1 व 2 ने षडयन्त्र करके विवादित आराजी ख. नं. 319 के हिस्से भाग रकबा 0.45 हे. पर दिनांक 6.8.04 को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जिसे बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। — वादी

तनकी नं. 3 आया कि प्रति वादी क्र. 1 व 2 के द्वारा की गई कार्यवाही धारा 136 LR act प्रति वादी क्र. 1 व 2 के नाम ख. नं. 319 रकबा 0.45 हे. ग्राम कलमण्डा दर्ज कर प्रति वादी क्र. 1 व 2 के खाते दर्ज की गई जिसे इन्तकाल नं. 441 दिनांक 5.4.04 से प्रति वादी क्र. 3 के खाते दर्ज की गई उक्त आराजी प्रति वादी क्र. 3 ने रजि. विक्रय पत्र खरीद की। — प्रति०

तनकी नं. 4 आया कि वादी ने वाद पत्र में अंकित किया कि वह भूमि पर वक्त दावा काबिज नहीं था अतः यह वाद चलने योग्य नहीं है — प्रति०

तनकी नं. 5 अनुतोष

बहस अभिभाषक [illegible] पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा [illegible] को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील [illegible] कि जरिये रजि. विक्रय पत्र से खरीद की थी भूमि मेरे बाबूलाल [illegible] खरीदी थी प्रति वादी ने धारा 136 LR act

लगातार-5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। कि 0.45 हे. रकबा कम हो गया है कहकर धारा 136 LR act का प्रार्थना पत्र किया था। इस कोर्ट के आदेश से रकबा बराबरी कर दिया। जेसी प्रार्थी दिया है इसलिए कम कर दिया। कई बार सीमा ज्ञान हुआ इस कोर्ट का आदेश संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा अपास्त कर रिमाण्ड किया है पुन: सुनवाई कर निर्णय करने के निर्देश दिये है जबकि सम्पूर्ण रकबा खरीदा था उनको इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं था धारा 136 LR act के प्रा. पत्र का निर्णय हो चुका है इनका कोई Title नहीं बनता है जबकि द्वारा 1.71 हे. भूमि खरीदी है हम दोनों एक ही क्रेता है इसलिए जो भूमि खरीदी थी वह सम्पूर्ण खरीदी थी जो मौके पर काबिज है उसकी पत्थर गढ़ी कराने हेतु कोई आपत्ति नहीं है कमी रकबे के बिना दर्ज नहीं है मौके पर पूरा खेत एक ही है जैसे सीमाज्ञान के लिए पहले भी लिख किया है धारा 136 LR act की कार्यवाही 2003 में की गई थी जिन लोगों के रकबे कम किया नहीं हुआ था इस कोर्ट द्वारा संशोधित आदेश जारी किया दिनांक 21.7.2003 के आदेश को संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपास्त किया गया। संशोधित आदेश इसी कोर्ट द्वारा दिनांक 27.7.2004 से किया गया। दिनांक 21.7.2003 के निर्णय की पालना में बेचान कर दिया गलत बाजी है। जब आदेश ही संशोधित कर दिया तो इनकी रजिस्ट्री स्वत: निरस्त होनी चाहिये। मैंने 1996 में 1.71 हे. भूमि खरीदी थी कुल 1.71 हे. नाप कर देवे इसमें कोई आपत्ति नहीं है दिनांक 21.7.2003 के आदेश की पूर्ण पालना नहीं हुई धारा 183 RTA की कोई जरूरत नहीं थी जेसी भूमि है उसके जैसी ही भूमि का क्रय किया है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर एक प्रार्थी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे।

बहस के दौरान वकील जरिये वादी का कथन है कि वादीगण ने भूमि क्रय कर रजिस्ट्री करवाई थी, ख.नं. 319 की 1.70 हे. भूमि खरीदी है जिसे द्वारा धारा 136 LR act की कार्यवाही की वह सही है रजिस्ट्री के रकबे से बाहर यह कैसे जा सकते है यह 1.70 हे. भूमि से ज्यादा कैसे लेंगे इनके दावा के अनुतोष में धारा 88,188 RTA का है धारा 183 RTA नहीं है जबकि बेदखली के लिए धारा 183 RTA लाना चाहिये था। धारा 183 RTA की रिलीफ धारा 88,188 में नहीं दी जा सकती है जोधराज वगैरह ने प्रार्थी नं. 3 को बेची है प्रार्थी वादी पक्षकार का विवाद तो 0.45 हे. भूमि का है 0.45 हे. भूमि की पूर्ति सेटलमेन्ट ने की है वादी दावे के तथ्य छुपाकर लाया है 188 RTA के दावे में भूमि खाते एवं कब्जे से होनी चाहिए भूमि वादी के नाम खाते में है और न ही कब्जे [illegible] 275 पुराना नम्बर, 254 रकबा 2.05 बीघा, 324 रकबा का 29[illegible] हे. 337 का 296 रकबा 16 बिस्वा का 0.24 हे. कर दिया [illegible] का 8.19 हे. रकबा कर दिया 0.45 हे. की पूर्ति उक्त प्रकार से की गई। जबकि धारा 136 LR act का प्रा. पत्र पेश किया है इसलिए रजिस्ट्री सेटलमेन्ट से बनी हुई भूमि इनकी कैसे हो सकती है इसलिए रजिस्ट्री

लगातार 6

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने खरीदी है उतनी भूमि से ज्यादा मे कैसे ले सकते है वादी हाई
भूमि पर प्रार्थी वादी ओमप्रकाश का कब्जा काश्त है तथा नाम नहीं है दिनांक
9.3.2004 को भूमि बेचान की है इनका दावा बाद का है चमेली बाई
के खाते मे आने के बाद का इनका दावा है अर्जुनलाल के बयानों
की जिरह मे चमेली बाई का दाखिली मे लिखा गया है दे दावा है, बाद
आज तारीख मे खारिज हो चुका है। इनका अवलोकन पत्रावली का नहीं है
2008 की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.08 मे नहीं वह नहीं बताया कि इनकी
भूमि काश्त कर रही है clean करने। प्रार्थी चमेली बाई का 0.45 हे. पर कब्जा है
मौके पर इनका 1.62 हे. पर कब्जा है धारा 188 RTA की आड मे भूमि पर कब्जा
करना चाहते है संवत 2030 मे मूल खातेदार कल्याणमल का देहान्त के बाद
भूमि खरीदी है। दो ख.नं. बनाकर कुल रकबा 1.71 हे भूमि है इन्होंने नया नम्बर
दर्ज किया है इन्होंने बयानों मे स्वीकार किया है चमेली का कब्जा है प्रतिवादी
का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे तथा वादी का वाद खारिज किया जावे।

उभय अभिभाषक अंतिम पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड
का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र का तनकी वार निस्तारण
निम्नानुसार किया जाता है:-

तनकी नं.1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। नकल
जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा संवत 2031-34 खाता नं. 42 के अनुसार कल्याण पुत्र
गोवर्धन जाति मीना के खातेदारी मे दर्ज थी नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा संवत
2059-62 मे बाबूलाल पुत्र सावलिया जाति सहर का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी
के कालम नं. 12 से 17 मे नामा. नं. 767 दिनांक 5-3-03 से ख.नं. 319 रकबा 1.70
हे. ख.नं. 320 रकबा 0.01 हे भूमि क्रेता अर्जुनलाल पुत्र पन्नालाल जाति सहरिया
के नाम खाते दर्ज करने का आदेश हुआ नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी -
ग्राम कल्याण कलमण्डा संवत 2051-54 खाता नं. 29 मे कल्याण पुत्र गोवर्धन -
जाति मीना का नाम दर्ज है जमाबन्दी के कालम नं. 11 से 16 मे नामा- नं. 446
दिनांक 13.7.96 से ख.नं. 319 रकबा 1.70 हे. ख.नं. 320 रकबा 0.01 हे. कुल
किता 2 रकबा 1.71 हे. पर बाबूलाल पुत्र सावलिया जाति सहर निवासी कस्बा
बारां का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है। नकल नामा. नं.
858 ग्राम कलमण्डा के अनुसार चमेलीबाई पत्नी रामकरण कोम मीणा सा. देह
दर्ज मुताबिक रजिस्टर्ड रहन नामे के आधार पर नामा. दर्ज हुआ। नकल निर्णय
दिनांक 21.7.2003 मु.नं. 143/03 उनवान ओमप्रकाश बनाम सरकार के अनुसार
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम कलमण्डा के ख.नं. 234 रकबा 0.07 हे.
ख.नं. 324 रकबा 0.09 हे. ख.नं. 337 से 0.10 हे. ख.नं. 341 रकबा 0.19 हे. भूमि कम
की बजाय प्रार्थी गण की आराजी ख.नं. 319 व 320 मे बेशी दर्ज की जाने का
आदेश हुआ उक्त आदेश की पा[illegible] नामा. सं. 838 खोला गया। नकल
विक्रय पत्र दिनांक 24.4.[illegible] बाबूलाल पुत्र सावलिया
जाति सहर निवासी बारां [illegible] व 320 की भूमि कुल 2 किता रकबा
1.71 हे. का बेचान अर्जुनलाल वल्द पन्नालाल जाति सहरिया निवासी उनावन तहसील
किशनगंज को 1,80,000/- मे किया गया। नकल विक्रय पत्र दिनांक 25.6.96 के
अनुसार - 7

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के अनुसार खातेदार कल्याण पुत्र गोवर्धन जाति मीणा मरा ख.नं. 319 व 320 की भूमि 2 किता रकबा 1.71 हे. का बेनामा बाबूलाल पुत्र सांवलिया को 1,29000/- में किया गया इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी कल्याण पुत्र गोवर्धन के खातेदारी की थी। कल्याण पुत्र गोवर्धन द्वारा बाबूलाल पुत्र सांवलिया जाति सहर को बेचान कर दी तथा बाबूलाल पुत्र सांवलिया सहर द्वारा उक्त भूमि को वादी अर्जुनलाल पुत्र भंवरलाल जाति सहर को बेचान कर दी तभी से वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था प्रस्तुत नकल जमाबंदी, नामा. एवं बिक्रय पत्रों के आधार पर ख.नं. 319 व 320 कुल रकबा 1.71 हे. वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में होना साबित होता है नकल सीमाज्ञान दिनांक 22.10.2008 के अनुसार ख.नं. 319 व 320 का मौके पर की गई पैमाइश के अनुसार क्षेत्रफल 2.07 हे. आता है जिसमें से दक्षिण की ओर 0.45 हे. भूमि खातेदार मोती बाई की है इस का करने पर अर्जुनलाल वर्तमान में 1.62 हे. पर काबिज है नक्शा ~~...~~ तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 319 व 320 उक्त कल्याण का रकबा बढ़ाया जाता है तो प्रस्तावित नक्शा संस्पर्शी ख.नं. 341 में से 0.19 हे. ख.नं. 319 में बढ़ाया हुआ बनाया जावेगा तथा जीतराज पुत्र कल्याण मीणा को ख.नं. 319 में बढ़ा हुआ रकबा 1.70 के बजाय 319 रकबा 1.70 तथा किता 341 रकबा 0.19 कुल 1.89 किया जा सकता है जबकि पूर्व में 0.45 हे. बढ़ाई जाने का आदेश सही नहीं है क्योंकि अन्य ख.नं. 324 में से 0.09, ख.नं. 337 में से 0.10 व ख.नं. 275 में से 0.07 हे. भूमि संस्पर्शी नहीं होने से नहीं दी जा सकती है इस प्रकार कुल खातेदार जीतराज, रामस्वरूप पुत्र कल्याण के खाते 0.45 हे. वृद्धि किया गया है जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है केवल ख.नं. 341 ही संस्पर्शी ख.नं. है जिसमें 0.19 हे. रकबा कम किया जाकर ख.नं. 319 व 320 में बढ़ाया जा सकता है शेष ख.नं. 324 व 275, ख.नं. 319 व 320 के समस्पर्शी नहीं है इससे यह साबित होता है कि धारा 136 LR act का आदेश गलत किया गया तथा वादी की भूमि पर दक्षिण दिशा के प्रतिवादी गण द्वारा कब्जा कर रखा है जिसे वादी पैमाइश करा कब्जा करने का अधिकारी है इससे यह साबित किया जा सकता है कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी गण का धारा 136 LR act के आदेश से कब्जा काश्त है जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3:- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार ... उक्त कल्याण का रकबा बढ़ाया जाता है तो प्रस्तावित नक्शा संस्पर्शी ख.नं. ... में से 0.19 हे. ख.नं. 319 में बढ़ाया हुआ बनाया जावेगा तथा गोवर्धन पुत्र कल्याण मीणा को ख.नं. 319 में बढ़ा हुआ

लगातार 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

रकबा 1.70 के बजाय 319 रकबा 1.70 तथा कि. 341 रकबा 0.19 कुल 1.89 हे. किया जा सकता है जबकि पूर्व मे 0.45 हे. रकबा बढ़ाने का आदेश सही नहीं है क्योंकि अन्य ख.नं. 324 में से 0.09, ख.नं. 337 में से 0.10 व ख. नं० 275 में से 0.07 हे. भूमि समस्पर्शी नहीं होने से नहीं दी जा सकती है इस प्रकार मूल खातेदार ओंकारलाल, रामकिशन पुत्र कल्याण के खाते 0.45 हे. कमी किया गया है जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं थी केवल ख.नं. 341 ही समस्पर्शी ख.नं. है जिसमें 0.19 हे. रकबा कम किया जाकर ख.नं. 319 व 320 मे बढ़ाया जा सकता है शेष ख.नं. 324 व 275, ख.नं. 319 व 320 के समस्पर्शी नहीं है इससे यह साबित होता है कि धारा 136 LR act का आदेश गलत किया गया तथा वादी की भूमि पर धारा 136 LR act के आधार पर प्रतिवादी गण द्वारा जो कब्जा कर रखा है जिसे वादी पैमाइश करा कर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है उक्त आदेश के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरण सं. 0.45 हे. भूमि पर कब्जा कर प्रतिवादी क्र 3 को जमीन विक्रय पत्र से बेचान कर दिया गया है जो गलत है बेचान के आधार पर जो नामा. खोला गया वह भी गलत है क्योंकि विवादित आराजी वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भी प्रतिवादी गण यह तनकी साबित करने में विफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं.4 :- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। नकल तीसरा लाभ दिनांक 22-10-08 के अनुसार ख.नं. 319 व 320 की पैमाइश की गयी मुताबिक पैमाइश से नाप अनुसार क्षेत्रफल 2.07 हे. आता है जिसमें से दक्षिण की ओर 0.45 हे. भूमि जमीनी कार्य खातेदार की है इसे कम करने पर अनुपलब्ध रकबा 1.62 हे. पर काबिज है फसल सरसों बोई हुई है अंकुरण नहीं हुआ है। उक्त पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर पूर्व पैमाइश से प्रतिवादी गण वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया होना दिनांक 22-10-08 की पैमाइश रिपोर्ट से साबित होता है वादी द्वारा यह कहा गया बताया कि प्रतिवादी का वाद पत्र पेश करने से पूर्व कब्जा काश्त नहीं था रहा है वादी द्वारा जब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था तब प्रतिवादी द्वारा भूमि की पैमाइश करायी गयी मुताबिक पैमाइश वादी की भूमि मे प्रतिवादी की भूमि बेक बताया गया। तथा धारा 136 LR act का गलत निर्णय होने से वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया है विवादित आराजी पर वादी गण का ही स्वत्व चला आ रहा है इसी वाद पत्र प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल कर कब्जा वादी को [illegible] तनकी को साबित करने मे विफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] से यह तथ्य सामने आया कि विवादित आराजी ख.नं. 319 व 320 वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है वादी मदरिया जाति [illegible] व्यक्ति है जो गरीब है तथा प्रतिवादी

लगातार 9

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

मौका जाती है जो प्रार्थी वादी जग द्वारा नाजायज बल पूर्वक गलत तथ्यों के आधार पर धारा 136 LR act का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है जिसे कोई अधिकार नहीं था तहसीलदार बारां की रिपोर्ट से भी यह सामने आया कि किस प्रकार धारा 136 LR act का निर्णय किया है जाया जो गलत है इस खातेदार जोधराज, रामस्वरूप पुत्र कल्याण के खाते में 0.45 हे. जैसी किया गया है जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं मौका बताया है विवादित भूमि के समस्पर्शी ख.नं. 341 ही है जिसमें से 0.19 हे. रकबा कम किया जाकर ख.नं. 319-320 में बढ़ाया जा सकता है वादी अपनी भूमि की पैमाईश कराकर प्राप्त कर सकता है प्रार्थी वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे उनका पक्ष मजबूत हो। प्रार्थी वादी अपना पक्ष सिद्ध करने में विफल रहे हैं वादी एवं प्रार्थी वादी जग के मध्य भूमि को लेकर लम्बे समय से विवाद की स्थिति है सामने आयी है वादी अपने खाते की भूमि की पैमाईश तहसीलदार बारां द्वारा टीम गठित कर करवाई जाकर मामला का समाधान हो सकता है वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार बारां को टीम गठित कर वादी की भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रार्थी वादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है विवादित भूमि ख.नं. 319 रकबा 1.70 हे. की आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा तह० बारां की टीम गठित कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी वादी जग को यह स्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

…य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

…क्षी 95/04	धारा अंतर्गत 88, 188 RTA	निर्णय दिनांक 15.2.22
…क्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम महाराज		अभिभाषक प्रतिवादी श्री ओमप्रकाश मेहता

वाद शीर्षक

अर्जुनलाल वल्द नन्दलाल जाति लहर निवासी उनियारा तह. ~~बारां~~ किशनगंज जिला बारां

बनाम

1. जोधराज पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी कलमण्डा तह. बारां
2. रामकिशन पुत्र कल्याण जाति मीना नि. कलमण्डा तह. बारां
3. चमेलीबाई पत्नी रामचरण जाति मीना निवासी कलमण्डा, तह. बारां
4. रामकरण पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी कलमण्डा तह. बारां
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है व वादी गण का काश्तकार घोषित किया जाता है विवादित आराजी मौजा कलमण्डा तह. बारां के ख.नं. 319 रकबा 1.70 है. की ठीक गठित का पैमाईश करके हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है व वादी गण को स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15-2-22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानु…

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with CamScanner

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

संशोधित डिक्री

...संख्या 95/04	धारा अंतर्गत 88, 188 RTA	निर्णय दिनांक 24.11.22

...समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम नारायण जी	अभिभाषक प्रतिवादी श्री ओम प्रकाश ...

वाद शीर्षक

अर्जुन पुत्र मन्नालाल जाति मेहर निवासी दुगावन तह. किशनगंज जिला बारां

बनाम

1- ओंधराज पुत्र कल्याण जाति मीणा नि. कलमण्डा (मृतक)
1/1 विष्णु पुत्र ओंधराज जाति मीणा निवासी कलमण्डा
1/2 श्रीमति कमलेश
1/3 श्रीमति मिथलेश } पुत्रियां ओंधराज जाति मीणा नि. कलमण्डा तह. बारां
1/4 श्रीमति ज्योति
1/5 श्रीमति सरकाबाई बेवा ओंधराज जाति मीणा निवासी कलमण्डा तह. बारां
2- रामस्वरूप पुत्र कल्याण जाति मीणा नि. कलमण्डा
3- श्रीमति चमेलीबाई पत्नी रामकरण जाति मीणा नि. कलमण्डा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

4- रामकरण पुत्र रतनलाल जाति मीणा निवासी कलमण्डा
5- राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी गण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है विवादित अराजी ग्राम कलमण्डा तह. बारां के ख.नं. 319 रकबा 1.70 हे. की सीमा ज्ञात कर पैमाइश करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है प्रतिवादी गण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के आसामी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.11.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner